

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

क्र/प्रार्थना पत्र सं.	द्वारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
59/20	53, 183, 188 RTA	अपना	खंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुन्दरबाई	बनाम	मोहनलाल	

वकील :- अमरसिंह भीषा एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
9/20	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12/20 को पेश हो।	
8/20	अज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12/01/21 को पेश हो। प्रतिवादी गणों के अलावा श्री देव प्रसाद भीषा एडवो. का न्यायालय में पेश तथा पत्रावली में भी शामिल किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
13/21	अज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 01/21/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
21/21	पत्रावली पेश हुई। वकील भीषा उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 व 3 व 5 से 14 के बाद तलबील समान प्रदत्त। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के अंश से श्री देव प्रसाद एडवो. का न्यायालय पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 3 व 5 व 13 का वजूद सूचना के अनुपस्थित। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी क्रम 4 का तलबील हेतु सवि. म. व तलबील पेश करें। वरन् तलबी। तलबील पत्रावली दिनांक 23/11 को पेश हो।	

पत्रावली पेश हुई। बहुराज करीकोठ अतः कार्यवाही  
 कुछ 4 वीं तारीख से तबतक पेश करे। पत्रावली  
 वाले तारीख दिनांक 17/12/24 को पेश हो।

17-12-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वाडिया एवं त्रिपाठी  
 उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय में एक-दूसरे पर  
 तीन बार आवाज लावाई गई। कार्यवाही स्थगित  
 होने तक इंतजार किया गया। कोई उपर नहीं  
 हुए हैं। प्रत्येक अदालत दायरी अदालत परकी में  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाल सुधार  
 होकर वास्तविक रूप में हो।